

- लाण्ड आर धुलाई आधष्ठान।
41. जिल्दसाजी।
42. कोल्ड स्टोरेज।
43. पाटरी, सिरेमिक्स या रिफैक्ट्रीज।
44. निजी मुद्रणालय।
45. सिनेमा उद्योग।
46. कपड़ा छपाई।
47. सिलाई उद्योग।
48. एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी फार्मसी।
49. क्लब।
50. हथकरघा(सिल्क की साड़ी की बुनाई) जरी के कार्य।
51. कपड़ा धोने या प्रसाधन के साबुन या सिलिकेट या साबुन का चूर्ण या प्रक्षालक विनिर्माण।
52. ऊनी कम्बल बनाने के अधिष्ठान।
53. खाण्डसारी।
54. हथकरघा उद्योग।
55. शक्ति चालित करघा उद्योग।
56. छोटा(मिनीएचर) बल्ब एवम् कौंच उत्पादों के निर्माण।
57. कागज, गत्ता और पेपर बोर्ड उद्योग।
58. ईट भट्ठा उद्योग।
59. ताला उद्योग के नियोजन में।
60. पीतल के बर्तनों एवं पीतल उत्पाद के विनिर्माण के नियोजन।
61. किसी निजी सुरक्षा और सेवा प्रदाता अभिकरण में नियोजित सुरक्षा कर्मी(सुरक्षा कर्मियों) जिनमें हथियार सहित/हथियार रहित आदि कर्मी सम्मिलित हों।
62. बुहारने और सफाई में नियोजन, जिसमें सफाई कर्मचारी नियोजन एवं शुष्क सौचालयों का निर्माण(प्रतिशेघ) अधिनियम, 1993 के अन्तर्गत के निषिद्ध किया-कलाप सम्मिलित नहीं है।
63. घरेलू कामगारों का नियोजन।
64. कम्प्यूटर हार्डवेयर उद्योग एवं सेवाओं में नियोजन।
65. एल0पी0जी0 वितरण एवं संबंधित सेवाओं में नियोजन।
66. टैक्सीज, आटोरिक्शा/टैम्पो एवं ट्रेवेलिंग अभिकरण में नियोजन।
67. केबिल आपरेटर एवं संबंधित सेवाओं में नियोजन।
- 68.
69. गैर सरकारी संगठन(एन0जी0ओ0) एवं संबंधित सेवाओं में नियोजन।
70. विक्रय संवर्धन(विक्रय संवर्धन(सेवा शर्त)अधिनियम 1976 के अधीन सम्मिलित अथवा सम्मिलित किये जाने वाले किसी उद्योगों में) में नियोजन।
71. हेयर कटिंग सैलून एवं व्यूटी पार्लर(पुरुष एवं महिलायें) में नियोजन।
72. कारपोरेट कार्यालयों में नियोजन।
73. काल सेन्टर/आई0टी0 इण्डस्ट्रीज/टेलीकालिंग सेवाओं आदि में नियोजन।
74. ऐसे प्रतिष्ठान जो किसी अनुसूचित नियोजन के अधीन आच्छादित न हों, में नियोजन।

(आर0पी0गुप्ता)

उप श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
कृते श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

कार्यालय, श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश, जी0 टी0 रोड, कानपुर।

संख्या 630-37

प्रवर्तन-(एम0डब्लू0)/15

दिनांक 8/10/2021

प्रतिलिपि:-

1. समस्त क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत कराये तथा श्रमिकों, सेवायोजकों व उनके प्रतिनिधियों द्वारा मॉगे जाने पर उपलब्ध कराएँ।
2. अनुसचिव उ0प्र0शासन, श्रम अनुभाग-3, लखनऊ।
3. सहायक निदेशक,श्रम एवं रोजगार मंत्रालय,(वेज सेल) भारत सरकार नई ई-मेल wagecell@nic.in के माध्यम से
4. अधिशासी निदेशक उद्योग बंधु लखनऊ।
5. उप श्रम आयुक्त,(आई0 आर0), मुख्यालय, कानपुर।
6. अपर श्रम आयुक्त(कम्प्यूटर), मुख्यालय को समस्त क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त कोई ई-मेल के माध्यम से प्रेषित कराने तथा विभागीय वेबसाइट www.uplabour.gov.in पर अपलोड कराने हेतु।
7. श्री हिमांशु कुमार, पुस्तकालयाध्यक्ष, मुख्यालय को अभिलेखार्थ प्रेषित।
8. समस्त प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों को जन सामान्य की जानकारी हेतु जनहित में निशुल्क प्रकाशनार्थ।

(आर0पी0गुप्ता)

उप श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश,
कृते श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।